न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर फूलियाकलां जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री भंवरलाल कांसोटिया, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
01 / 2018 / प्रार्थना पत्र	02.01.2018	25.01.2018

उनवान

सुन्दरदेवी पत्नि हुकमीचन्द जाट नि0 भादवा की कोटड़ी तह0 हुरड़ा

– प्रार्थिया

बनाम

1– नानूलाल पिता चम्पालाल कुमावत निवासी कोठियॉ त0 फूलियाकलां
2– बन्नालाल पिता धन्ना रेगर निवासी कोठियॉ त0 फूलियाकलां
3– जोधराम पिता धन्ना रेगर निवासी कोठियॉ त0 फूलियाकलां
4– सुरजमल पिता धन्ना रेगर निवासी कोठियॉ त0 फूलियाकलां
5– सोरभ पिता कमलनयन उर्फ कमल कुमार मानसिंहगा महाजन नि0 भीलवाड़ा
6– हरिराम पिता हरदेव बैरवा नि0 खेड़ा पालोला तह0 फूलियाकलां
7– रामप्रसाद पिता हरदेव बैरवा नि0 खेड़ा पालोला त0 फूलियाकलां
8– रामदेव पिता हरदेव बैरवा नि0 खेड़ा पालोला तह0 फूलियाकलां

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री सुनील कुमार शर्मा : अधिवक्ता प्रार्थिया

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा – 128 एल0आर0एक्ट विरुद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, ग्राम कोठियॉ पटवार हल्का कोठियॉ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थिया की खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 1057 आ0न0 2663 / 4273 रकबा 0.24 है0, आ0न0 2663 / 4313 रकबा 0.27 है0, आ0न0 2663 / 4314 रकबा 0.03 है0, आ0न0 2678 रकबा 0.70 है0, कुल किता 04 रकबा 1.24 है0 स्थित है।

पेरा नं0 1 मे वर्णित आराजीयात की सीमाओं के विपक्षीगण नं0 1 लगायत 8 पड़ोसी होने से आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय मौके पर विवाद करते है। अतः निवेदन है कि पैरा नं0 1 मे वर्णित आराजी की मुस्तकिल निशान से पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश बक्षाते हुए प्रार्थिया की भूमि की चारों सीमाओं पर मुस्तकिल निशान लगाये जाने का आदेश बक्षावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 19.01.2018 को अप्रार्थी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 के सम्मन बाद तामील प्राप्त हो जाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 25.01.2018 को अभिभाषक प्रार्थिया ने विपक्षी संख्या 03 व 08 के विरूद्व कोई कार्यवाही नही चाहने से उसके विरूद्व कार्यवाही ड्रोप की गई। प्रार्थिया के अभिभाषक ने बहस करनी चाही जिससे उनकी एक तरफा बहस सुनी गई। बहस मे अभिभाषक प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। बहस पर मनन एवं दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी ग्राम कोठियॉ पटवार मण्डल कोठियॉ संवत 2072 से 75 खाता संख्या 1057 आ0न0 2663/4273 रकबा 0.24 है0, आ0न0 2663/4313 रकबा 0.27 है0, आ0न0 2663/4314 रकबा 0.03 है0, आ0न0 2678 रकबा 0.70 है0, कुल किता 04 रकबा 1.24 है0 की प्रार्थिया खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड है अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश दिया जाना उचित समझता हूँ :—

आदेश

प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट विरूद्व विपक्षीगण के स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोठियॉ पटवार हल्का कोठियॉ तहसील फूलियाकलां मे प्रार्थिया के खातेदारी अधिकार की खाता संख्या 1057 आ0न0 2663/4273 रकबा 0.24 है0, आ0न0 2663/4313 रकबा 0.27 है0, आ0न0 2663/4314 रकबा 0.03 है0, आ0न0 2678 रकबा

0.70 है0, कुल किता 04 रकबा 1.24 है0 की प्रार्थिया के खातेदारी की पत्थरगढ़ी अन्य किसी न्यायालय मे प्रकरण जैरकार होकर स्थगन आदेश आदि न हो तो पक्षकारान की मौजूदगी मे ऑफ सीजन मे पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार फूलियाकलां को 500/- (अक्षरे पॉच सौ रूपये मात्र) की कमीशन राशि पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीशन राशि मौके पर प्रार्थिया से प्राप्त करे। निर्णय प्रति पालनार्थ तहसीलदार फूलियाकलां को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 25.01.2018 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(भंवरलाल कांसोटिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉं,जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, फूलियाकलां (भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
फूलिया कलॉं,जिला-भीलवाड़ा